



पुलिस अधीक्षक जनपद भदोही

सी.यू.जी. - 9454400307,

दूरभाष- 05414-250236,

ई-मेल- spsrn-up@nic.in



प्रेस-नोट, जनपद भदोही

पत्र संख्या- औराई(07)/2025

दिनांक- 18.04.2025

श्री अभिमन्यु मांगलिक, पुलिस अधीक्षक भदोही के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 18.04.2025 को श्री शुभम अग्रवाल, अपर पुलिस अधीक्षक भदोही के पर्यवेक्षण में थाना औराई,एसओजी व सर्विलांस/साइबर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना औराई,सुरियावां, ज्ञानपुर व भदोही पर मोबाइल टावरों से अजना कार्ड चोरी के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोगों का सफल अनावरण करते हुए एकांत स्थानों के टावरों से टेक्निशियन व रिगर के मदद से मोबाइल टावरों पर चढ़कर किमती पार्ट्स अजना कार्ड चोरी करने वाले अन्तर्जनपदीय चोर संगठित गिरोह के 05 अभियुक्त थाना औराई क्षेत्र अन्तर्गत नेशनल हाइवे से गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 अजना कार्ड,04 केविल, 01 माड्युल,02 अदद सिप्री, 01 तमंचा 315 बोर व 01 जिंदा कारतूस 315 बोर,चोरी घटना में प्रयुक्त चारपहिया वाहन स्विफ्ट डिजायर व ₹ 12,000/- नगद बरामद किया गया। गिरोह द्वारा जनपद मिर्जापुर व वाराणसी अन्तर्गत मोबाइल टावरों से चोरी की घटनाओं का अंजाम दिया जाता था।

थाना औराई:- थाना औराई,सुरियावां, ज्ञानपुर व भदोही पर मोबाइल टावरों से अजना कार्ड चोरी के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोगों का सफल अनावरण करते हुए एकांत स्थानों के टावरों से टेक्निशियन व रिगर के मदद से अजना कार्ड चोरी करने वाले अन्तर्जनपदीय चोर संगठित गिरोह के 05 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 अजना कार्ड,04 केविल, 01 माड्युल,02 अदद सिप्री, 01 तमंचा 315 बोर व 01 जिंदा कारतूस 315 बोर,चोरी घटना में प्रयुक्त चारपहिया वाहन स्विफ्ट डिजायर व ₹ 12,000/- नगद बरामद।

पूर्व की घटनाओं का संक्षिप्त विवरण:-

- ◆दिनांक-29.10.2024 को फिल्ड अफसर शैलेश कुमार यादव निवासी प्रयागराज द्वारा ग्राम भरतपुर में मोबाइल टावर से 02 अजना कार्ड चोरी के सम्बन्ध में थाना औराई पर सूचना दिया। दिए गए सूचना पर थाना औराई पर मु0अ0सं0-06/2025 धारा 303(2), 317(4) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- ◆दिनांक-19.02.2025 को फिल्ड अफसर शैलेश कुमार यादव निवासी प्रयागराज द्वारा ग्राम खरगपुर मोबाइल टावर से 02 अजना कार्ड चोरी के सम्बन्ध में थाना सुरियावां पर सूचना दिया। दिए गए सूचना पर थाना सुरियावां पर मु0अ0सं0-52/2025 धारा 303(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- ◆दिनांक 28.02.2025 को फिल्ड अफसर जितेन्द्र कुमार पाण्डेय निवासी मिर्जापुर द्वारा थाना भदोही अन्तर्गत ग्राम पिपरिस व रामरायपुर मोबाइल टावर से कुल 05 अजना कार्ड चोरी के सम्बन्ध में थाना भदोही पर सूचना दिया। दिए गए सूचना पर था भदोही पर मु0अ0सं0-103/2025 धारा 303(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- ◆दिनांक 10.03.2025 को फिल्ड अफसर जितेन्द्र कुमार पाण्डेय निवासी मिर्जापुर द्वारा थाना ज्ञानपुर अन्तर्गत ग्राम सारीपुर मोबाइल टावर से 03 अजना कार्ड चोरी के सम्बन्ध में थाना ज्ञानपुर पर सूचना दिया। दिए गए सूचना पर था ज्ञानपुर पर मु0अ0सं0-54/2025 धारा 303(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया।

◆दिनांक 10.03.2025 को फिल्ड अफसर जितेन्द्र कुमार पाण्डेय निवासी मिर्जापुर द्वारा थाना कछवा जनपद मिर्जापुर अन्तर्गत ग्राम लवरक स्थित मोबाइल टावर से 01 अजना कार्ड चोरी के सम्बन्ध में थाना कछवा पर सूचना दिया। दिए गए सूचना पर थाना कछवा पर मु0अ0सं0-26/2025 धारा 303(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी का विवरण-

श्री अभिमन्यु मांगलिक, पुलिस अधीक्षक भदोही के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 18.04.2025 को श्री शुभम अग्रवाल, अपर पुलिस अधीक्षक भदोही के पर्यवेक्षण व श्री नरेश कुमार क्षेत्राधिकारी औराई के नेतृत्व में थाना औराई,एसओजी व सर्विलांस/साइबर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना औराई,सुरियावां, ज्ञानपुर व भदोही पर मोबाइल टावरों से अजना कार्ड चोरी के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोगों का सफल अनावरण करते हुए एकांत स्थानों के टावरों से टेक्निशियन व रिगर के मदद से टॉवरो पर चढ़कर अजना कार्ड चोरी करने वाले अन्तर्जनपदीय चोर संगठित गिरोह के 05 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 अजना कार्ड,04 केविल, 01 माइयुल,02 अदद सिप्री, 01 तमंचा 315 बोर व 01 जिंदा कारतूस 315 बोर,चोरी घटना में प्रयुक्त चारपहिया वाहन स्विफ्ट डिजायर व ₹ 12,000/- नगद बरामद किया गया चोरी के माल बरामदगी के से सम्बन्ध में थाना 317(4) बीएनएस का बढ़ोत्तरी किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त सूरज गुप्ता के कब्जे से बरामद तमंचा के सम्बन्ध में थाना औराई पर मु0अ0सं0 147/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों द्वारा जनपद भदोही सहित वाराणसी मिर्जापुर आदि जनपदों में घटना टावरों से चोरी करते थे। इन घटनाओं में संलिप्तता व आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्तों 1.करन उर्फ गोलू गुप्ता पुत्र डंगर प्रसाद गुप्ता निवासी मोहन सराय गंगापुर रोड थाना रोहनिया जिला वाराणसी 2.संजय कुमार विंद पुत्र जोखू प्रसाद विंद निवासी बरहूली पचपेडवा थाना अली नगर जिला चंदौली 3.विजय कुमार विंद पुत्र महेश विंद निवासी भगवतीदास पुर थाना औराई जनपद भदोही 4.सूरज गुप्ता पुत्र स्व0 शंकर गुप्ता निवासी मोहन सराय गंगापुर रोड थाना रोहनिया जिला वाराणसी 5. फरहाद पुत्र यासिन निवासी जाकिर हुसैन कालोनी हापुड रोड थाना लोहियानगर जिला मेरठ द्वारा बताया गया कि हम लोगों का टावरों से किमती पार्ट्स चोरी व विक्री करने का एक संगठित गिरोह है जो अपने आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ हेतु मोबाइल टॉवरो की रेकी कर किमती पार्ट्स चुराने व बेचने का काम चारपहिया वाहन से किया जाता। विजय कुमार बिन्द जो रिगर व संजय कुमार विंद किनशियन है इन दोनों की मदद से हम लोग दिनांक 16.02.2025 को थाना भदोही अन्तर्गत ग्राम पिपरीस में, दिनांक 19.02.2025 को थाना ज्ञानपुर अन्तर्गत ग्राम सारीपुर की साईड ग्राम विशूनपुर व दिनांक 19.02.2025 को थाना सुरियावां क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम खरगपुर में टॉवरो से अजना कार्ड चोरी किये थे। जिसको हम लोगो ने मिलकर बेच दिया है। इसी तरह से जनपद वाराणसी व मिर्जापुर थाना कछवा अन्तर्गत भी चोरी की घटना किया गया है। दिनांक 29.10.2024 को थाना औराई क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम भरतपुर से चोरी किया हुआ अजना कार्ड माइयुल सिप्री को आज दिनांक 18.04.2024 टॉवरो से चोरी का समान बेचने हेतु फरहाद उपरोक्त को विक्रमगंज में बुलाया गया जो हम लोग पकड़े गए। बिक्री का पैसा आपस में हम लोग बाट लेते है उसी विक्री का खर्च के उपरांत ₹12000/- बचा है।

अपराध का तरीका-

पेशेवर तरीके से संगठित होकर अपने आर्थिक भौतिक लाभ हेतु भदोही,मिर्जापुर व वाराणसी आद जनपदों में घुम फिर कर टावरों को दिन में चिन्हित करते है और रात में एकांत व अंधेरा का फायदा उठाकर टॉवरो पर चढ़कर किमती पार्ट्स जैस अजना कार्ड,माइयुल,सिप्री आदि की चोरी कर बिक्री करते है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. करन उर्फ गोलू गुप्ता पुत्र डंगर प्रसाद गुप्ता निवासी मोहन सराय गंगापुर रोड थाना रोहनिया जिला वाराणसी उम्र 20 वर्ष
2. संजय कुमार विंद पुत्र जोखू प्रसाद विंद निवासी बरहूली पचपेडवा थाना अली नगर जिला चंदौली उम्र 35 वर्ष (टेक्निशियन)
3. विजय कुमार विंद पुत्र महेश विंद निवासी भगवतीदास पुर थाना औराई जनपद भदोही (रिगर) उम्र 27 वर्ष
4. सूरज गुप्ता पुत्र स्व0 शंकर गुप्ता निवासी मोहन सराय गंगापुर रोड थाना रोहनिया जिला वाराणसी उम्र 26
5. फरहाद पुत्र यासिन निवासी जाकिर हुसैन कालोनी हापुड रोड थाना लोहियानगर जिला मेरठ उम्र 37 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

01 अजना कार्ड, 04 केबिल, 01 माइयुल, 02 सिप्री, 01 तमंचा 315 बोरे व 01 जिंदा कारतूस 315 बोरे, चोरी घटना में प्रयुक्त चारपहिया वाहन स्विफ्ट डिजायर व ₹ 12,000/- नगद बरामद

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 147/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना औराई जनपद भदोही

अनावरण अभियोगों का विवरण-

1. मु0अ0सं0-54/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना औराई जनपद भदोही
2. मु0अ0सं0-52/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना सुरियावां जनपद भदोही
3. मु0अ0सं0-103/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना व जनपद भदोही
4. मु0अ0सं0-54/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना ज्ञानपुर जनपद भदोही
5. मु0अ0सं0-26/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना कछवा जनपद मिर्जापुर

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

टीम-(I)-1. प्रभारी निरीक्षक अंजनी कुमार राय 2. उ0नि0 सुहेल खान 3. उ0नि0 जयप्रकाश सिंह 4. मु0आ0 रामबली यादव 5. मु0आ0 सूरज सोनकर 6. मु0आ0 सतीश कुमार 7. मुख्य आरक्षी पप्पू 8. आरक्षी रंजीत सिंह

टीम(I I)- 1. निरी0 श्याम बहादुर यादव (प्रभारी एस0ओ0जी0/ सर्विलांस सेल) 2. हे0का0 धीरेन्द्र श्रीवास्तव, 3. हे0का0 राधेश्याम कुशवाहा 4. हे0का0 हरिकेश यादव, 5. का0 हिमान्शु सिंह, 6. का0 नीरज यादव, 7. का0 प्रवेश कुमार, 8. का0 शेराफुल हसन, 9. का0 अहम सिंह, 10. का0 राघवेन्द्र कुशवाहा, 11. का0 प्रत्युश पाठक 12. का0 चा0 हरिओम यादव

टीम(III)-1. निरी0 बृजेश सिंह (प्रभारी साइबर क्राइम पुलिस थाना) 2. मु0आ0 अभिषेक शुक्ला, आरक्षी दीपक यादव, आरक्षी सुनिल कन्नौजिया